

>

Title: Issue regarding constitution of Labour schools.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): याभाषण महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर के पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी और शिवहर के प्रखंडों में बाल श्रमिक परिवोजना के तहत बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों का गठन केन्द्र सरकार के मापदंड के अनुरूप जिला पदाधिकारियों ने रववं शेषी संस्थाओं द्वारा तीन वर्ष के अनुबंध पर किया था। नियमों के नाम पर आज इन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और जिन उद्देश्यों के लिए ये विद्यालय चलाए गए थे, वे उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। गरीब पश्चिम के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। मेरी जानकारी में आया है कि इन विद्यालयों के गठन हेतु नए सिरे से चयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सदन को बताते हुए खोट हो रहा है कि अभी तक श्रमिक विद्यालयों का गठन नहीं हो पा रहा है। साथ ही उपरोक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों का मानदेय दो वर्षों से अधिक समय से जिला प्रशासन द्वारा नहीं देना मेरी समझ से पैर है। मेरा मानना है कि पर्फर्मेंस के आधार पर जब तक प्रखंडों में नए सिरे से श्रमिक विद्यालयों का गठन नहीं हो जाता, तब इनमें पढ़ने वाले बच्चों के पठन-पाठन का कार्य बंद नहीं किया जाना चाहिए था। सदन के माध्यम से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जिन प्रखंडों में बाल श्रमिक विशेष विद्यालय बंद कर दिए हैं, उन्हें उनकी पर्फर्मेंस के आधार पर शीघ्र खोला जाए, जिससे इन प्रखंडों के गरीब छात्र अपनी शिक्षा को जारी रख सकें।